न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

(15)

निगरानी प्रकरण कमांक 2171–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 293/अपील/2014–15.

.....

राधेश्याम आ0 श्री शंकरलाल
निवासी ग्राम सेमला गोगा तहसील नरसिंहगढ
जिला राजगढ़

..... आवेदक

विरूद्ध

1–प्रभुलाल आत्मज श्री कालूराम
2–प्रेमनारायण आ0 श्री प्रभुलाल
3–तुलसीराम आ0 श्री प्रभुलाल
4–कमला प्रसाद आ0 प्रभुलाल
5–मनोहर आ0 प्रभुलाल
सभी निवासीगण ग्राम सेमला गोगा तहसील नरसिंहगढ
जिला राजगढ़ म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री संजय नायक, अभिभाषक–आवेदक
श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय कुरावर के समक्ष संहिता की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत इस आशय

का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है, उनके द्वारा ग्राम सेमला गोगा में भूमि कय की गई थी । उक्त भूमि का बटवारा होकर उभयपक्ष अपनी अपनी भूमियों पर काबिज है और उभयपक्ष की भूमियों के मध्य से शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 245 की भूमि में से था जिसे अनावेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–13/13–14/ग्राम सेमला गोगा दर्ज कर दिनांक 19–9–2014 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । साथ ही अनावेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण करने के कारण पृथक से प्रकरण दायर करने के निर्देश पटवारी को दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–1–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–4–2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–11–16 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगें, परन्तु उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच प्रतिवेदन एवं साक्षियों के साक्ष्य लेकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया था जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश था और उक्त आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी कोई त्रुटि नहीं की गई थी, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है और न ही इस आशय की कोई जॉच की गई है कि अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं और न ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्र साक्ष्य ली गई है, इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक अपर आयुक्तके आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा भी बिना किसी प्रकार की कोई जॉच किये तहसील न्यायालय एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है, अतः उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विधिवत् उभयपक्ष सहित हितबद्ध व्यक्तियों एवं ग्राम के पंचों की उपस्थिति में सीमांकन कर, साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर